

28/05/2025.


पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्त व
अपीलान्तगण अनुपस्थित। पेंशनकार सरकार
अपस्थित। पत्रावली पर अपलब्ध अभिलेख
का अवलोकन किया गया।

Murko
Atank

	वनाम
--	------

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अपील जिला कलेक्टर, उदयपुर के रिमाण्ड प्रकल्प के निर्णय दिनांक 26/12/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन विधम, 1970 के तहत आवंटन द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने का उभय पक्ष की मौजूदगी में प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पर ^{अनुसूची 14(4)} के तहत अप्रखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा किया गया दिनांक 29-10-1977 का आदेश निरस्त किया गया है।</p> <p>पैरोकार सरकार द्वारा इस संबंध में कही कि प्रस्तुत अपील के साथ अपीलधीन आदेश के विरुद्ध अपील समर्पण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है न ही लम्बे समय (दिनांक 11/10/2023) से अपास्थिति ही ही गई है, जिससे अपील निरस्तनीय है।</p> <p>अपरोक्त पृष्ठभूमि में जिला कलेक्टर, उदयपुर के विधि की पेशानुसंग आवंटन शर्तों के अनुसंधान संबंधी, मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 26/12/2017 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।</p> <p>अतः प्रकल्प अपीलान्त द्वारा पैरोकार के अभय में गुणाकगुण कर निरस्त किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार दोकर दारिखल दस्तारदी।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को सर्वे इजलार्थ सुमाया गया।</p>	


 28/05/2025.
 संभागीय आयुक्त
 उदयपुर (राज.)